

कर दिनांक 19.11.24 को पेश हा  
भवसर दिव

19.11.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी रुखिबिका उपस्थिति विपक्षीय  
अनुमानित/सा.पत्र वा बहस सुनी गई। पत्रावली का अन्वयण  
अध्ययन किया गया। पत्रावली का मूल वाद बतौर अ हाकिम PD  
पालन हेतु नियत है। प्रार्थी एवं विपक्षीय राजस्व रिफंड के यह  
खोजेदार हैं तथा सहखोजेदार द्वारा बिना विभाजन करके निर्माण  
अथवा विशेष भाग का बेचान कर दिया जाता है जो सहखोजेदार  
को अपूर्णता दर्शाती है।

अतः प्रार्थी का सा.पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष (प्रार्थी  
एवं विपक्षी 1612) को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से  
पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद प्रकरण संख्या 112/2020 वाद  
अन्वयण अम्बिका बनाम डी के मिस्तारण मंड (नामद) राजस्व  
ग्राम वाराणाली की अन्वयण संख्या लम्बर 2074 से 2077 के  
क्रमांक संख्या 212 बिता 30 रकबा 2-7050 है. एवं खाना संख्या  
213 बिता 2 रकबा 0-1950 है. भूमि में प्रार्थी एवं रिफंड अथवा-  
विपक्षी बनाए रखे। निर्णय ले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंडल-  
शुद्धा लेखा नम्बर से कम है।

(रिफंड डीके)